

नम्बर व तारीख
अहकाम जो
हुकम की तारीख
में जारी हुए

तारीख
हुकम

हुकम या कार्यवाही में इनिशियल्स जज

18-5-21

उभय पक्ष उपस्थित पं. सरसेन अधिकारी राजव.प
कार्य से बाहर है। अवकाश पर है / पदरिक्त है
अतः पत्रावली दिनांक 29-6-21 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी माण्डल

29-6-21

पत्रावली पेश हुई, अभिभाषकगण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगन/बहिष्कार रखने
से पत्रावली दिनांक 30-6-21 को पेश हो।

10-12-21

पत्रावली प्रशासन गाँवों के लोग अग्रियान 2021
कैम्प गुप्त पचापत मेजा में पेश हुई क्षणार्थीगण
के सम्मन बाद तमिल हो कर प्राप्त हुए जिसे शा-प
दिया गया। तदुत्तर मांडल से माँका रिपोर्ट
प्राप्त हुई जिसे शा-प दिया गया। प्रार्थीगण का
शा-प स्वीकार किया जाकर निर्वचन प्रकसे लिखा
जाकर शा-प दिया गया। पत्रावली फेटल शुमार होकर
नम्बर से समझे

डॉ. पूजा सक्सेना
उपखण्ड अधिकारी माण्डल
प्रशासन गाँवों के सभ अभियान 2021



न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, मांडल (भीलवाड़ा)

पीठासीन अधिकारी :- डॉ. पूजा सक्सेना, आर. ए. एस.

प्रशासन गौवों के संज्ञान अक्टोबर 2021

मुकदमा संख्या :- 213/20 प्र. प्र

1- श्री हरेलाल श/ श्री देवागारी निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)

1- श्री गोपाल श/ श्री मन्दा तेली निवासी- माण्डल तहसील- माण्डल (भीलवाड़ा)
बनाम
सुष्माकिशोर श/ प्रसादकिशोर श

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू.रा.अधि. 1956

दिनांक 8.12.21

::आदेश::

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.राज. अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम..... मैजा पटवार हल्का..... मैजा तहसील मांडल/में उसके खाते /संयुक्त खातों की आराजी नं..... 508 कुल किता 01 रकबा..... 2.1372 हेक्टेयर..... स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मुतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहता है। जिसमें प्रार्थी अपने खाते /संयुक्त खाते की भूमि की पत्थर गद्दी के आदेश प्रदान कराये जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक..... 9.12.20को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को अवलोकनार्थ से यह बात सिद्ध है कि वाद ग्रस्त भूमि प्रार्थी के खाते एवं कब्जे काशत की होने से पत्थरगद्दी करने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार की हैरा-फेरी होने का अंदेशा नहीं है तथा न किसी प्रकार अधिकार निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुये नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पर आवेदन पत्र प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

:: आदेश ::

प्रार्थी का प्रार्थना धारा 111-128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम..... मैजा पटवार हल्का..... मैजा तहसील मांडल में स्थित आराजी नं..... 508 कुल किता 01 रकबा..... 2.1372 हेक्टेयर..... भूमि के चारों तरफ सीमा की पुख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगद्दी किये जाने का आदेश दिया जाता है। पत्थरगद्दी किये जाने हेतु भू अभिलेख निरीक्षक..... मैजाको 800/- रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर फीस प्रार्थीगण मौके पर जमा करावें। कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकारान की मौजूदगी में मौके व कब्जे की यथास्थिति को बनाये रखते हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगद्दी की जावें। फसल खड़ी होने पर पत्थर गद्दी नहीं की जावे।

डॉ. पूजा सक्सेना

उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

प्रशासन मांडल, जिला भीलवाड़ा 2021

प्रतिलिपि :- तहसीलदार मांडल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार पत्थरगद्दी की जाकर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी

उपमांडल, जिला भीलवाड़ा

प्रशासन गौवों के संज्ञान अक्टोबर 2021